

मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

क्रमांक/ २३९५ /२८२६/२०१७/५०-२ भोपाल, दिनांक १६ /१०/२०१७
प्रति,


कलेक्टर

जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

विषय :- लाइली लक्ष्मी योजनान्तर्गत विशेष प्रकरण की स्वीकृति-कुमारी
भगवती पिता मुकेश खरगोन.

उपरोक्त विषयक कु० भगवती (जन्म दिनांक ०१/१२/२००८)
पिता मुकेश पटेल, निवासी बेरफड बुजुर्ग तहसील बडवाह, जिला खरगोन का
आवेदन लाइली लक्ष्मी योजनान्तर्गत विशेष प्रकरण के रूप में सीएम हेल्प
लाइन शिकायत क्रमांक ४१०३५६४ दिनांक २४/०६/२०१७ में दर्ज है। परिवार
की द्वितीय जीवित संतान है एवं माता द्वारा परिवार नियोजन दिनांक
२४/१२/२००९ को अपनाया गया है।

प्राप्त प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुये स्वीकृति प्रदान की जाती
है।



उप सचिव,


मध्यप्रदेश शासन,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

पृ.क्रमांक/ २३९६ /२८२६/२०१७/५०-२ भोपाल, दिनांक १६ /१०/२०१७
प्रतिलिपि :-

१. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास

2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास
3. आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
4. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला खरगोन म0प्र0 की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को सीएम हेल्पलाइन से विलोपित कराते हुए संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. कु0 भगवती, पिता मुकेश पटेल, निवासी बेरफड बुजुर्ग तहसील बडवाह, जिला खरगोन, म0प्र0
6. अनुभाग अधिकारी, शाखा-2/गार्ड फाईल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,